



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 06.01.2025

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 12000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 12000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 28/05 धारा 8/21 NDPS एक्ट के अभियुक्त कामता पुत्र शिवगोपाल नि0 गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि (96 दिन) के कारावास व 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।**
2. थाना कोतवाली नगर से संबंधित मु0नं0 364/2024 धारा 11/12/19 बालश्रम अधिनियम-1956 के अभियुक्त चवन्नी पुत्र रामबारू नि0 भूरागढ़ जनपद बांदा को **10000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।**